प्रेषक,

संख्याः– 1126 / XVII-B-1/2021-09(02)/2021

एल. फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादून : दिनांक 30 सितम्बर, 2021

विषय–केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10) योजनान्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विकासखण्ड बाजपुर में स्वीकृत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केला बनवारी में अतिरिक्त 03 कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि पुनः अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–275/नि.अ.क.(1381)/रा0उ0प्रा0वि0/2020–21, दिनांक 24.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' योजनान्तर्गत (90:10) जनपद उधमसिंहनगर के विकासखण्ड बाजपुर में स्वीकृत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केला बनवारी में अतिरिक्त 03 कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या–395/XVII-B-1/2021–09(02)/2021, दिनांक 09.03.2021 के द्वारा धनराशि ₹ 21.03 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी कुल धनराशि ₹ 10.515 लाख का भुगतान कोषागार स्तर पर तकनीकी कारण से कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर इकाई को नहीं हो पाया है। अतएव विषयगत निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को पुनः अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में तत्संबंधी मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून द्वारा निर्गत अनाहरण प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2021 भी संलग्न किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31.03.2020 एवं शासनादेश संख्या–293/XXVII(7)36/2010-11, दिनांक 09.10.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–13/60/2020–MsDP-MOMA, दिनांक 30.09.2020 के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु गठित आगणन के विभागीय तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 21.03 लाख (सिविल कार्य हेतु ₹ 20.90 एवं अधिप्राप्ति हेतु ₹ 0.13 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष निर्धारित केन्द्रांश ₹ 17.25 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की 50 प्रतिशत धनराशि ₹ 8.63 लाख एवं निर्धारित राज्यांश ₹ 1.92 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि ₹ 0.96 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से वहन की जाने वाली धनराशि ₹ 1.86 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि ₹ 0.93 लाख अर्थात कुल धनराशि **₹ 10.515 लाख (₹ दस लाख इक्यावन हजार पांच सौ मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 30.09.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः...........

3– इस सम्बन्ध में केन्द्रांश के सापेक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–277–शिक्षा–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (90:10% के0स0) के मानक मद '56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा राज्यांश के सापेक्ष होने वाला व्यय अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों/जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–04–अल्पसंख्यकों का कल्याण–277–शिक्षा–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–9501– प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (10%) के मानक मद '56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश शासनादेश संख्या–130/XXVII(6)/430/एक/2008/2019, दिनांक 29.03.2019 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेन्ट आई.डी. संख्या–5210901500043, 5210101500044 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2021 एवं शासनादेश दिनांक 09.10.2020 के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या :1126 (1)/XVII-B-1/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
9. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, इन्दिरा नगर, देहरादून।
10. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम, रूद्रपुर इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।
11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उधमसिंहनगर।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल.फैनई)
प्रमुख सचिव।